

08.2.23

भाना से प्रतिवेदन अप्राप्त है।

23.2.23

23.2.23

भाना से प्रतिवेदन अप्राप्त है।

18.3.23

18.3.23

भाना से प्रतिवेदन अप्राप्त है।


08.4.23

भाना से प्रतिवेदन अप्राप्त है।

28.4.23

अप्रिलेख उपलब्ध।
 भाना से अन्य प्रतिवेदन अप्राप्त एवं प्रथम पदाधिकारी के लगातार अनुपस्थित रहने से प्रतिवेदन होता है कि एतद्वारा विधि-सम्बन्धी कार्य-सम्बन्धी कार्य के निष्पत्ति में कार्यवाही को समाप्त कर अप्रिलेख को बन्द किया जाता है।

उपरोक्त सर्व-सम्बन्धित।



अनु. 4000

जि.रि.रि.



अनु. 4000

जि.रि.रि.